

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या:- 33/2020

प्रार्थी:- जगाराम पुत्र श्री हरिकिशन, जाति वादी, निवासी खेतासर,
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:- तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित -

प्रार्थी की ओर से - अधिवक्ता श्री रामकिशोर औझा

अप्रार्थी की ओर से- सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

-:निर्णय:-

दिनांक:- 27/1/27

प्रार्थी द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि- प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 132 बीघा 07 बिस्वा, मौजा ग्राम खेतासर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। उक्त भूमि के राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम जगदीश पि. हीरीया दर्ज है लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम जगाराम पि. हरिकिशन है। राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश जगदीश पि. हीरीया दर्ज कर दिया गया जो गलत है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार योजना इत्यादि में जगाराम पुत्र हरिकिशन नाम दर्ज है उक्त राजस्व रेकॉर्ड में नाम त्रुटि केवल राजस्व कर्मचारियों की सद्भावित भूल के कारण हुई है जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। राजस्व रेकॉर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थी को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व रेकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी के नाम में एकरूपता नहीं होने की वजह से प्रार्थी अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने ऋण लेने में भयंकर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 132 बीघा 07 बिस्वा ग्राम खेतासर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में प्रार्थी का नाम जगदीश पि. हीरीया के स्थान पर जगाराम पि. हरिकिशन दर्ज किया




राज्यपाल, जोधपुर, राजस्थान

जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावे।


यह है कि उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी द्वारा राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम जगाराम पुत्र हरिकिशन दर्ज करने की अनुशंसा की।

यह है कि बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम जगाराम पुत्र हरिकिशन है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—:आदेश:—


अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 19 रकबा 132 बीघा 07 बिस्वा ग्राम खेतासर, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम जगदीश पुत्र हीरीया के स्थान पर वास्तविक नाम जगाराम पुत्र हरिकिशन दर्ज किया जाकर रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।




उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 27/1/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।




उपखण्ड अधिकारी, ओसियां